एमएस। चंडीगढ़ फूड एंड सर्विसेज लिमिटेड,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 9672

7 सितंबर. 1989

भारत का संविधान, 1950-कला. 226, 227—सरकारी अनुबंध–निविदाएं जारी नहीं की गईं–बातचीत द्वारा दिया गया अनुबंध–कोई भेदभाव नहीं–कार्यकारी लचीलापन–क्या संविदात्मक दायित्व को खत्म किया जा सकता है।

माना गया, कि हमें यहां यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अनुबंध देने के मामले में उत्तरदाताओं की ओर से कोई अनुचितता या याचिकाकर्ता के साथ कोई अनुचित भेदभाव हुआ है।

(पैरा 2)

माना गया कि इस तरह के मामले में, "कार्यकारी लचीलेपन" का कुछ तत्व उत्तरदाताओं पर छोड़ा जाना चाहिए। सब कुछ उतना यांत्रिक नहीं है जितना एक संविदात्मक दायित्व में होता है.. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/221 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि मामले के रिकॉर्ड मांगे जाएं और उनका अवलोकन करने के बाद: -

(i) उन्होंने उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 तक लद्दाख गैरीसन को जमे हुए मांस की आपूर्ति के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने का निर्देश देने वाला एक परमादेश रिट जारी किया;

(ii) यदि अनुबंध प्रतिवादी संख्या 5 या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में दिया गया है तो उसने सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट जारी की है जिसमें अनुबंध को रद्द कर दिया गया है;

(iii) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश, जैसा कि माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में उचित और उचित समझे, प्रार्थना की गई राहत प्रदान करते हुए जारी किया जाएगा;

(iv) अनुलग्नक पी-1 से पी-3 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की छूट दी जाए;

(v) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस जारी करने की छूट दी जाए; और

(vi) याचिकाकर्ता को दी गई याचिका की लागत।

आगे प्रार्थना की गई है कि इस सिविल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी नंबर 5 के पक्ष में अनुबंध को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई जाए।

सिविल विविध. 1989 का क्रमांक 13043.

धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रार्थना करते हुए कि उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 तक प्रतिवादी संख्या 5 या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बिना प्रचार के अनुबंध को मंजूरी देने या पुराने आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित करने और निविदाओं को लड़ने में सक्षम बनाने से रोका जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल और अधिवक्ता अजय लांबा।

एच. एस. बराड़. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए अधिवक्ता पी.एस. तेजी के साथ अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 5 के लिए वकील ए.के. चोपड़ा।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी (मौखिक)

(1) स्पष्ट रूप से कहें तो, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह पिछले कई वर्षों से पश्चिमी कमान के सैन्य अधिकारियों के माध्यम से भारत संघ को मांस की आपूर्ति कर रहा है। कहीं

एमएस। चंडीगढ़ फूड एंड सर्विसेज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य

(एम. एम. पुंछी, जे.)

वर्ष 1988, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 इस विचार के साथ गर्भवती हो गई कि जमे हुए मांस को उत्तरी कमान के तहत शासित विभिन्न स्टेशनों पर भेजने के लिए भारी मात्रा में खरीदा जाए। याचिकाकर्ता को इसके बारे में पता चला तो उसने उत्तरदाताओं के साथ पत्राचार शुरू कर दिया और सुझाव दिया कि अगर उसे कहा गया तो वह दूसरों की तुलना में सस्ती प्रतिस्पर्धी दर पर जमे हुए मांस की आपूर्ति करने की स्थिति में होगा। याचिकाकर्ता का सुझाया गया मामला कि उत्तरदाता एक साथ दूसरों के साथ भी बातचीत कर रहे थे, तथ्यात्मक रूप से विवादित नहीं है, बल्कि उत्तरदाताओं द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के अलावा तीन कंपनियां भी जमे हुए मांस की आपूर्ति के लिए उसके साथ पत्राचार कर रही थीं। और, जैसा कि कहा गया है, प्रयोग के तौर पर, कुछ जमे हुए मांस को वर्ष 1980 में मेसर्स वाइकिंग इंडिया लिमिटेड, प्रतिवादी संख्या 5 से खरीदा गया था। स्थिति एक नियमित अनुबंध में प्रवेश करने की ओर बढ़ती दिख रही थी किसी न किसी पार्टी के साथ. चूंकि याचिकाकर्ता अनुबंध के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए उसने इसके संबंध में स्पष्टता मांगी और जमे हुए मांस को रुपये में बेचने की पेशकश की। 28 प्रति किलोग्राम. उत्तरदाताओं ने उन्हें बताया कि उचित समय पर एक निविदा जारी की जाएगी जिसमें याचिकाकर्ता विज्ञापन के संदर्भ में एक निविदा भी पेश कर सकता है। चूँकि ऐसी कोई निविदा

जारी नहीं की गई थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 ने रुपये की दर पर मांस उपलब्ध कराने के प्रतिवादी क्रमांक 5 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रति किलोग्राम की तुलना में 29 रु. याचिकाकर्ता द्वारा 28 प्रति किलोग्राम की पेशकश की गई, याचिकाकर्ता ने शिकायत करते हुए मुख्य रूप से हाजी टी. एम. हसन रावथर बनाम केरल वित्तीय निगम (1) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(2) रिटर्न में, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, उत्तरदाताओं ने एक निविदा जारी करने के बजाय, रुपये की दर पर मांस की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 के साथ एक अनुबंध पर बातचीत की। 29 प्रति किलोग्राम. यह कीमत पर संपत्ति प्राप्त करने का मामला था न कि संपत्ति बेचने का। सुप्रीम कोर्ट की उपरोक्त मिसाल एक ऐसा मामला है जहां सरकार की संपत्ति बेची जानी थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियम तथ्यों की उस स्थिति तक ही सीमित है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे यहां लागू नहीं कहा जा सकता। यहां हमें केवल यह देखना है कि क्या अनुबंध देने के मामले में उत्तरदाताओं की ओर से कोई अनुचित व्यवहार किया गया है या याचिकाकर्ता के साथ कोई अनुचित भेदभाव किया गया है।

(3) उत्तरदाताओं की निविदा जारी करने की इच्छा, हालांकि याचिकाकर्ता को बता दी गई है, यह कोई ऐसा बयान नहीं है जो बाध्यकारी हो

(1) ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 157.

कानून बनाना या याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई वचनबद्ध रोक बनाना। अनुबंध पर प्रतिवादी संख्या 5 के साथ रिटर्न में वर्णित परिस्थितियों में और उसके पैराग्राफ 11 में अधिक बातचीत की गई है। यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 5 के पास सेना अधिकारियों को जमे हुए मांस प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है और याचिकाकर्ता के पास फिलहाल ऐसा कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। याचिकाकर्ता इस पर विवाद करता है और कहता है कि उसके पास इन्फ्रा-स्ट्रक्चर है और समय दिए जाने पर वह इन्फ्रा-स्ट्रक्चर मुहैया करा सकता है, अगर इसमें किसी भी तरह की कमी है। स्थिति जो भी हो, पार्टियों के बीच विवाद शायद ही ऐसा हो जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में तय करने की आवश्यकता हो। जैसा कि पहले कहा गया है, हम उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी अनुचित या अनुचित भेदभाव का उल्लेख नहीं करते हैं। इस तरह के मामले में, "कार्यकारी लचीलेपन" का कुछ तत्व उत्तरदाताओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सब कुछ उतना यांत्रिक नहीं है जितना संविदात्मक दायित्व में होता है।

(4) इन टिप्पणियों के साथ, हम याचिका को सिरे से खारिज करते हैं। हालाँकि, इन परिस्थितियों में, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)